



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन(वि०), लखनऊ, 226001



Secretary.cpftrust@uppcl.org



www.uppst.org

संख्या: I/33251/2025/115/अं०भ०नि० ट्रस्ट/ब्याज देयता/2024 दिनांक : 05-12-2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कर्मिकों के सी०पी०एफ० खातों के अन्तिमीकरण हेतु कुल अवशेष जमा धनराशि पर देय ब्याज की गणना ट्रस्ट स्तर से ब्याज दर सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने के उपरान्त ही किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं०-115/अं०भ०नि० ट्रस्ट/ब्याज देयता/2024 I/5701/2025 दिनांक-27.02.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया था।

उक्त के अनुक्रम में सूचित करना है कि उ०प्र० शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-6/2025/जी-2-आई/1161562/दस-21099/108/2020 लखनऊ दिनांक:2 दिसम्बर, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर, 2025) हेतु ब्याज की दर 7.10% निर्धारित की गई है, जिसे ट्रस्ट कार्यालय द्वारा अंगीकृत किया जाता है।


(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं०:-I/33251/2025/115/अं०भ०नि० ट्रस्ट/ब्याज देयता/2024/तदिनांक:05-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, (वित्त/का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०), मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।
3. समस्त लेखाधिकारी/सहा० लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. समस्त लेखाकार/सहायक लेखाकार, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कट फाइल।


(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)